

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) खैरागढ़ जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई(छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202501290100052 / अ-62 / 2024-25

प्रारूप-ग

(नियम 3(2)देखिये)

अनुज्ञा

क्रमांक / 625 / प्रस्तुतकार-3 / अ.वि.अ. / 2025
प्रति,

खैरागढ़ दिनांक 17/04/2025

बैसाखू पिता सोनऊ जाति गोंड

ग्राम करेलागढ़ प.ह.न. 01 रा0नि0मं0 ईटार तहसील खैरागढ़

जिला-खैरागढ़ छुईखदान-गंडई(छ.ग.)

विषय - वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 08.01.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 10.01.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 24.01.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

1. खाते में कुल वृक्षों की संख्या- सागौन 2 नग
2. खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या - 2 नग सागौन
2. खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या- 0

आवेदित भूमि ख.न. 133/2 रकबा 1.214हे. में निम्नांकित वृक्षों को काटने की अनुसंशा की गई है।

स. क्रमांक	ख0नं0	वृक्ष क्रमांक	वृक्ष की प्रजाति	सीने की गोलाई	वृक्ष की स्थिति
1	133/2	1	सागौन	214 सें मी.	सूखा
2	133/2	2	सागौन	90 सें मी.	सूखा

उपरोक्त सूची अनुसार ख.न. 133/2 रकबा 1.214हे. ग्राम करेलागढ़ प.ह.न. 01 रा.नि.मं. ईटार तहसील खैरागढ़ स्थित उपरोक्त सूची में अंकित वृक्ष जिनकी प्रजाति 2 नग सागौन को काटे जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र.9सन-1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) खैरागढ़

खैरागढ़ दिनांक 17/04/2025

पृ. क्रमांक / 626 / प्रस्तुतकार-3 / अ.वि.अ. / 2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी खैरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र खैरागढ़ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. तहसीलदार खैरागढ़ को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) खैरागढ़